(भारत के राजपत्र असाधारण भाग –I खंड – I में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 15/5/2016 - डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबंद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना जांच शुरूआत (न्यू शिपर समीक्षा)

(प्रकरण सं. एनएसआर 1/2017)

दिनांक: **9** फरवरी, **2017**

विषय :- चीन जन.गण. से मै. गुआनझी क्विनझाऊ कैपीटल सक्सेस केमिकल कं. लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित ''फास्फोरिक एसिड– तकनीकी ग्रेड ओर खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित)'' के पाटित आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ व्यैक्तिक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पाटन रोधी नियमावली के नियम 22 के तहत न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत।

सं. **15/5/2016**-डीजीएडी (एनएसआर **1/2017):** मै. गुआनझी क्विनझाऊ कैपीटल सक्सेस केमिकल कं. लिमिटेड चीन जन.गण. (उत्पादक/निर्यातक) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) है और समय-समय पर यथा- संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष देश में उत्पादित अथवा चीन चीन जन.गण. से निर्यातित फास्फोरिक एसिड- तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित) के पाटित आयातों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्कों को लागू करने के प्रयोजन हेतु उनके व्यैक्तिक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया है जो मूल पाटन रोधी मामले में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/7/2006-डीजीएडी दिनांक 3 जनवरी, 2008 और एसएसआर पाटन रोधी मामले में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/1010/2012-डीजीएडी दिनांक 8 नवंबर,2013 और उसके दिनांक 19 नवंबर, 2013 को जारी शुद्धि पत्र के अनुसार है और जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार ने मूल जांच और एसएसआर जांच के लिए क्रमश:, अधिसूचना सं. 17/2008-सीमा शुल्क दिनांक 19 जनवरी, 2008

और सं. 33/2013- सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार पाटन रोधी शुल्क को अधिसूचित किया है ।

शामिल निर्यातक

1. वर्तमान जांच अधिनियम और एडी नियमावली के अनुसरण में प्राधिकारी के समक्ष दायर उनके आवेदन की शर्तों में मै. गुआनझी क्विनझाऊ कैपीटल सक्सेस केमिकल कं. लिमिटेड चीन जन.गण. (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा फास्फोरिक एसिड तकनीकी ग्रेड ओर खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित) के निर्यातों से संबद्ध है।

नए निर्यातकों के संबंध में समीक्षा की शुरूआत

2. अधिनियम ओर एडी नियमावली प्रश्नाधीन निर्यातक देश, जिसने संबद्ध देश से संबंद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच के पूर्ववर्ती मामले की जांच की अवधि के दौरान भारत के संबंद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, में किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के व्यैक्तिक मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी से समीक्षा की अपेक्षा करते हैं और यह कि याचिकाकर्ता निर्यातक देश जो पाटन रोधी शुल्क के अध्ययधीन है, में निर्यातकों और उत्पादकों में से किसी से भी संबंधित नहीं है।

3. जैसा कि मै. गुआनझी क्विनझाऊ कैपीटल सक्सेस केमिकल कं. लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) ने अपने आवेदन की शर्तों में अनुरोध किया है, अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/7/2016-डीजीएडी दिनांक 3 जनवरी, 2008 में मूल पाटन रोधी मामले और एसएसआर पाटन रोधी मामले में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना 15/10/2012-डीजीएडी दिनांक 8 नवंबर, 2013 तथा उसके दिनांक 19 दिसंबर, 2013 को जारी शुद्धि पत्र के अनुसार प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित फास्फोरिक एसिड – तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित) के पाटित आयातों पर लागू पाटन रोधी शुल्कों को लगाने के प्रयोजन हेतु उनके व्यैक्तिक पाटन-मार्जिन के निर्धारण हेतु प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 22 के तहत यथा निर्धारित शर्तों के संबंध में प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर एतद द्वारा एक न्यू शिपर समीक्षा जाचं आरंभ करने का निर्णय लिया है।

4. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 22 के अनुसरण में तथा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 33/2013 सीमाशुल्क(एडीडी) दिनांक 31 दिसंबर, 2013 के संबंध में इस समीक्षा के पूरा होने तक, मै. गुआनझी क्विनझाऊ कैपीटल सक्सेस केमिकल कं. लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा बनाई गई संबंद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों पर अंतिम आकलन की सिफारिश की है।

<u>जांच की अवधि:</u>

5. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 है।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>:

6. ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रपत्र और तरीके में प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत कर सकें और निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटन रोधी एवं संबंद्ध शुल्क महानिदेशालय,वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को अपने विचारों से ज्ञात करा सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके में उक्त प्राधिकारी को जाचं से संगत कोई अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

<u>समय-सीमा</u>:

7. वर्तमान जांच से संबंधित कोई जानकारी और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से अनधिक ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी तक पहुंच सके । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज करा सकते हैं ।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना:</u>

8. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि सहित) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि सहित) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए।

9. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण ओर अगोपनीय रूपांतरण, प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

11. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है ।

12. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारंश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

13. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:</u>

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

15. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(डॉ. इंद्रजीत सिंह)

अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी